फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

मोहनलाल बनाम कजोड वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0प‍त्र अ0धा0 251क रा0का0अ0

मु0नं0– 30 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र पेश हुई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 489 वाके ग्राम छोकरवाड़ा में प्रार्थी ने रहवास हेतु मकान बना रखा है तथा उनके मकान तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता भूमि खसरा नम्बर 509 में होकर जाता है उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 2 की सहखातेदारी भूमि है। इसलिए प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 489 में जाने हेतु खसरा नम्बर 509 में होकर रास्ता राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं नक्शा शीट में कायम किया जाकर रास्ता दर्ज किया जावे। इत्यादि पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 4 व 8 लगायत 9 की ओर से इस आशय का जवाब पेश किया गया कि मिन जवाबदातागण की खातेदारी एवं कब्जोकाश्त की भूमि में होकर कभी भी कोई रास्ता विद्यमान नहीं रहा है। और वर्तमान में भी कोई रास्ता विद्यमान नहीं है, इसलिए प्रार्थीगणा का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से एडवोकेट श्री राकेश जैमन ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।दिनांक 25.01.2023 को जवाब पेश करने से शेष सभी अप्रार्थीगण का जवाब हेतु अवसर बंद किया गया। तत्पश्चात बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु नियत की गई। बहस उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात उप तहसीलदार सिकन्दरा रिपोर्ट दिनांक 11.01.2022 तथा 05.07.2022 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार सिकन्दरा की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 489 वगै0 में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 509 में चाहे गये रास्ते को लाल रंग से संलग्न नक्शा प्रति में दर्शाया गया है जिसे मौके पर प्रार्थी चाहता है। उक्त रास्ते हेतु 465 फीट लम्बा एवं 10 फीट चौड़ा कुल 432 वर्गमीटर भूमि बनती है। उक्त 432 वर्गमीटर भूमि की डीएलसी दर से राशि 30468 होती है। उप तहसीलदार सिकन्दरा की रिपोर्ट दिनांक 05.07.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। तथा प्रस्तावित रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

मोहनलाल बनाम छगोड़ वगैरा

किस्म - 251(क) रा०का०अ० मु०न० 30/2021

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 क रा0का0अ0 स्वीकार किया जाकर ग्राम छोकरवाडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 489 तक जाने हेतु खसरा नम्बर 509 में होकर 465 फीट लम्बा तथा 10 फीट चौड़ा कुल 432 वर्गमीटर भूमि डीएलसी राशि की दोगुना राशि पर गै0मु0 रास्ता घोषित की जाती है। तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते में आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 राशि की दोगुना राशि जमा कर उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करें। जमा की गई राशि नियमानुसार संबंधित खातेदारान को देय होगी। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला-दौसा (राज.)